

भारत में महिला सशक्तिकरण : एक मूल्यांकन

डा० जयवीर प्रताप शर्मा
शोध निर्देशक
हिमालयन विश्वविद्यालय, ईटानगर

उर्वशी गुप्ता
शोधार्थी (समाज शास्त्र)
हिमालयन विश्वविद्यालय, ईटानगर

सारांश :

स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि "जिस प्रकार एक पक्षी एक पंख के सहारे नहीं उड़ सकता, समाज तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक समाज की सभी गतिविधियों में महिलाओं को शामिल न किया जाए।" इसलिए महिला सशक्तिकरण एक ज्वलंत प्रश्न बनकर उभरा है। महिलाओं में सशक्तिकरण का तात्पर्य है शिक्षा और स्वतन्त्रता को समाहित करते हुए सामाजिक सेवाओं के समान अवसर प्रदान करना, राजनैतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में उन्हें भागीदार बनाना व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा, स्वावलम्बन का अधिकार आदि मुद्दों को समाहित किया गया है।

किसी भी देश अथवा राज्य विशेष का आर्थिक विकास अनेक आर्थिक एवं अनार्थिक कारणों से निर्मित होता है। इनमें आर्थिक तत्वों के रूप में प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, पूंजी निर्माण, तकनीकी प्रगति, अच्छे उद्यमी एवं संगठन होते हैं। सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक व अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां आदि अनार्थिक तत्व भी होते हैं। अन्य संसाधनों की तुलना में मानव संसाधन में सक्रियता का विशेष गुण होता है। फलस्वरूप, मानव संसाधन समाज के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह भी ज्ञात है कि यदि किसी देश की जनसंख्या उसके आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप है और इसके निवासी क्रियाशील, चरित्रवान, स्वस्थ, परिश्रमी व कार्यदक्ष है तो निःसन्देह अन्य बातें समान रहने पर उस देश अथवा राज्य का आर्थिक विकास अधिक होगा। आर्थिक विकास की इन प्रक्रिया में महिला व पुरुष समान रूप में विद्यमान होते हैं।

कुंजी शब्द : सशक्तिकरण, मानव संसाधन, महिलाएं, सामाजिक न्याय, संविधान

प्रस्तावना :

महिलाओं का समाज तथा परिवार में अपने तिहरे योगदान—जन्मदात्री, प्रतिपालक एवं उत्पादक के रूप में विशिष्ट स्थान है। जहां एक ओर जन्मदात्री व प्रतिपालक का कार्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। वहीं दूसरी ओर उत्पादन का कार्य महिला व पुरुष दोनों के संयुक्त प्रयासों से होता है। विडम्बना यह रही है कि भारत में विशिष्ट योगदान देने व जनसंख्या का आधा भाग होने के बाद भी पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में महिलायें पारिवारिक सम्पत्ति, आय, सार्वजनिक व राजनैतिक भागीदारी में उपेक्षित रही हैं।

यह भी एक यथार्थ है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास का मूल लक्ष्य अधिकतम उत्पादन, पूर्ण रोजगार, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय करना होता है जो कि महिला व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है। लेकिन पुरुष प्रधान समाज में प्रारम्भ से चली आ रही श्रम विभाजन की प्रक्रिया व तकनीकी विकास ने महिलाओं को कुछ चुने हुए क्षेत्रों जिसमें शारीरिक कष्ट अधिक होता है वहीं तक सीमित कर दिया है।

महिलाओं की सामाजिक स्थिति का इतिहास बहुत ही पुराना है। आज का समाज भले ही शिक्षित हो गया है। लेकिन आज भी वह महिलाओं के बारे में पाश्चात्य एवं मध्ययुगीन दृष्टि रखता है। जिसके कारण पुरुष महिलाओं के जन्म दर में काफी अंतर है, जो महिला सशक्तिकरण न हो पाने को इंगित करता है। साथ ही, दहेज, जाति, धर्म, लिंग आदि के नाम पर महिलाओं को अपमानजनक जीवन व्यतीत करना पड़ता है।

आज भारत में 50 प्रतिशत जनसंख्या महिलाओं की है। पुरुष वर्ग व समाज ने हमेशा से महिलाओं का खुलकर समर्थन नहीं किया, जिससे उन्हें समाज में सम्मान व अधिकतर नहीं मिल सका है। महिलायें राष्ट्र के विकास में उतना ही महत्व रखती हैं जितना की पुरुष। अतः देश का समग्र विकास महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण से ही संभव है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1210569573 है। इसमें 623121843 पुरुष तथा 587447730 महिलाओं की हैं। महिलायें न केवल आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती

है, बल्कि शेष आधी जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास में भी योगदान देती है। भारत में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं का उल्लेखनीय योगदान रहा है। फिर भी आज इक्कीसवीं शताब्दी की महिलायें बड़ी संख्या में पिछड़ी व उपेक्षित रहीं हैं।

भारत जैसे देश में महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि उन्हें स्वतन्त्रता के साथ-साथ अवसरों की समानता भी प्रदान की जाए। सशक्तिकरण का अर्थ है महिलायें स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हों। भारतीय परम्परा में जैविक या लैंगिक अंतर के आधार पर स्त्री और पुरुष को अलग किया गया है। आज सामाजिक तौर-तरीके और कार्य-व्यापार के अलग-अलग मापदण्ड तय किए हैं। लेकिन सामाजिक परम्परा का निर्माण तो पुरुष वर्ग ने ही किया है। पुरुषों को जो उचित लगा अपने लिए जो भी तर्कसंगत, सुविधाजनक लगा, उसके अनुसार से नियम निर्धारित बनाये गये। आवश्यकता यह है कि शक्ति के रूप में तथा व्यावहारिक रूप में नियम लागू किये जाते। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हुआ। यही यथार्थ महिला सशक्तिकरण में बड़ी बाधा रही है। पुरुष वर्ग ने स्त्री की आदर्शवादी छवि बनाई है उसे तोड़ना होगा, क्योंकि यह स्त्रियों पर लादी गयी है। इस आदर्श के पीछे ही भेदभाव और उत्पीड़न छिपा है। जिसे सामाजिक मूल्य कहा जाता है और उसी मूल्य के भीतर लैंगिक भेदभाव भी रहे है। विकास का अर्थ स्त्री-पुरुष के लिए अलग-अलग अर्थों में भी न्यायसंगत होना है। उसे अलग-अलग अर्थों में ही स्वीकृति मिलनी चाहिए तभी सशक्तिकरण सफल होगा। संसद अथवा पंचायत को उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है। आज भी यह माना जाता है कि अधिकांश स्त्रियाँ स्वयं निर्णय नहीं लेती, बल्कि उसके पिता, पति और पुत्र लेते हैं।

19वीं सदी से आगे भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन दो उपशीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है। पहला स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की दशा, दूसरा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की दशा। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व महिलायें अनेक सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक व राजनीतिक नियोग्यताओं से जूझती रहीं। इस कालखण्ड में महिलाओं की भिन्न प्रस्थिति बनाए रखने में अशिक्षा, आर्थिक पराधीनता, बाल-विवाह, संयुक्त परिवार प्रणाली,

वैवाहिक प्रथाएँ, कुलीन विवाह, बहुपत्नी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध, दहेज आदि प्रथाओं ने महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। धीरे-धीरे अंग्रेजी शासनकाल में 'महिलाओं की स्थिति में सुधार होना प्रारम्भ हुआ तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महिलाओं की प्रस्थिति में और भी अधिक सुधार आया सरकार, गैर सरकारी संगठन, महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, महिला संगठनों सहित तथा समाज सुधारकों के प्रयासों के परिणामस्वरूप आज भारतीय महिलाओं की प्रस्थिति मध्यकाल की महिलाओं से काफी उच्च है। राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, एनी बेसेन्ट, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी ने महिला सशक्तिकरण के लिए काफी कार्य किये। लेकिन वास्तविकता यह है कि भारतीय गांवों और नगरों के रूढ़िवादी परिवारों में महिलाओं की स्थिति अब भी अधिक अच्छी नहीं है। आज भी बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा आदि राज्यों में बेटों को बोझ समझा जाता है तथा नवजात बच्चियों एवं कन्या भ्रूण की हत्याएँ चोंकाने वाली संख्या में हो रही है। महिलाओं पर बलात्कार, दहेज-हत्याएँ आदि अभी थमी नहीं है।

महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई नीति और योजनाएं बनायी जा रही हैं। सही योजनाओं के न होने के कारण भी ये सफल नहीं हुई है इसके लिए लचीले तथा विभेदीकृत ढांचे के द्वारा धरातल पर महिलाओं को प्रभावी भागीदारी की पृष्ठभूमि में सृजित किया जा सकता है। महिला विकास कार्यक्रम इस तथ्य की ओर भी संकेत करता है कि बहुत लम्बे समय तक पुरुषों ने परिवार, सरकार व समाज में महिलाओं के विकास का उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया है तथा सभी स्तरों पर महिलाओं की इन जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करने का कार्य किया गया। महिलाओं को लाभ दिलाने के लिए तथा इनकी स्थिति में परिवर्तन के लिए विकास कार्यक्रम के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास होता रहा है। इस अर्थ में महिला सशक्तिकरण का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को सूचना प्रसारण, शिक्षा व प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त करना तथा उन्हें सामाजिक व आर्थिक स्थिति की पहचान व सुधार के योग्य बनाना है, जिससे उनका समग्र विकास किया जा सके।

आज महिला सशक्तिकरण विचार का केन्द्र बन चुका है। आप किसी भी क्षेत्र की बात करें चाहे वह आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शिक्षा आदि कुछ भी हो, महिला के स्वप्न, संघर्ष, संकल्प, संकट इच्छाएँ और जरूरतों एवं उपलब्धियों को लेकर पूरे विश्व में एक नयी सोच बनाने की प्रक्रिया चल रही है। हमारे देश एवं सभी राज्यों में यह प्रक्रिया अधिक जटिल है क्योंकि यहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय रही है। यहाँ महिला सशक्तिकरण पर विचार विमर्श भी एक सा या सीधी सरल रेखा में नहीं है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिवारिक कारणों के चलते यहाँ स्त्री का चित्रण कुछ अलग तरह पर किया गया है।

सत्तर के दशक में महिलाओं ने यह सिद्ध करने के लिए संघर्ष किया कि महिलायें भी पुरुषों की तरह हो सकती हैं तथा उनके साथ कन्धे से कन्धा मिलकर चल सकती हैं। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि महिला को 'महिला' रहने से क्यों संकोच होता है। अस्सी का दशक महिलाओं के लिए अवरोध का समय था क्योंकि इस समय महिलाओं को सफलता द्वारा प्रतिष्ठा हासिल करने की सांस्कृतिक अनुमति से वंचित रखा गया था। नब्बे का दशक महिलाओं के लिए 'अभिव्यक्ति' का समय था। समाज में तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों—बाजार, राजनीति और अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे यह मान्यता स्थापित होने लगी कि महिलाओं की उपस्थिति को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

निष्कर्ष:

इक्कीसवीं सदी के आरम्भ में महिला सशक्ति आन्दोलन स्वयं को एक नये मोड़ पर खड़ा देख रहा है। वैश्वीकरण और उदारीकरण ने महिला-पुरुषा सम्बन्धों के मध्य समीकरणों पर विशेष रूप से प्रभाव डाला है। अब महिलायें अपनी स्थिति, समस्या और अधिकार को लेकर समाज में अधिक मुखरित हुई हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. रमा शर्मा, एम0के0 मिश्रा, महिला सशक्तिकरण, रिप्रो बुक्स, बम्बई, 2019
2. राकेश कुमार आर्य, महिला सशक्तिकरण और भारत, रिप्रो बुक्स, बम्बई, 2014
3. इन्द्रराज सिंह, महिला सशक्तिकरण, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2012
4. अनिता मोदी, महिला सशक्तिकरण, रिप्रो बुक्स, बम्बई, 2017
5. डी0 डी0 बसु, भारतीय संविधान, इलाहाबाद, 1979